न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/10/2026	2026/20	26.02.2026	29.04.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार, निवासी 3क 89, शिवाजी पार्क, अलवर , राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 06 घरेलू गैस सिलेण्डर व 1 इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. प्रवर्तन अधिकारी

–विभागीय प्रतिनिधि।

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 06 घरेलू गैस सिलेण्डर व 1 इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 19.02.2026 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार, निवासी 3 क 89, शिवाजी पार्क, अलवर, राज० के स्टेशन रोड, अलवर स्थित दुकान मैं० राजा आईस डिपो, पर पहुंचा।

मौके पर श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार उपस्थित मिले। श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार की दुकान पर स्टेशन रोड, अलवर स्थित दुकान अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनसे घरेलू गैस सिलेण्डर से गाडियों में गैस भरी जा रही थी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक मोटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक मोटर को मै० मोहन गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री टेकचंद, निवासी स्कीम नं0 2, जुबलीबास का चौराहा, अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी।

अ॥ :रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
.लवर (राज0)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार की स्टेशन रोड, अलवर स्थित दुकान पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों से गाडियों में गैस भरी जा रही थी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों व इलेक्ट्रिक मोटर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजा पुत्र श्री योगेश कुमार के द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों व इलेक्ट्रिक मोटर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक मोटर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)